क्रम-संख्या—653

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०—4

लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०—41

(लाइसेन्सड टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ बुधवार 12 अक्तूबर, 1983

आश्विन 20, 1905 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 2866/सत्रह-वि0-1-1(क)-20-1983

लखनऊ, 12 अक्तूबर, 1983

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) विधेयक, 1983 पर दिनांक 10 अक्तूबर, 1983 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26, सन् 1983 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) अधिनियम, 1983

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 1983]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, 1947 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) अधिनियम, 1983 कहा जायेगा।

(2) यह 3 अगस्त, 1983 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

संयुक्त प्रान्त ऐक्ट संख्या 28, सन् 1947 की धारा 2 का संशोधन

2--संयुक्त प्रांतीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, 1947 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, खण्ड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्--

"(ङङ) 'बन्दी' का तात्पर्य रोजगार के किसी स्थान या उसके भाग को स्थायी रूप से बन्द करने से है;"।

धारा 6-फ, 6-ब और 6-भ का बढ़ाया जाना

3--मूल अधिनियम में, धारा 6-प के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्--

धारा 6-ब और 6-भ का लागू होना

"6-फ--(1) धारा 6-ब और 6-भ के उपबन्ध उस औद्योगिक संस्था पर लागू होंगे जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 के खण्ड (क) के उपखण्ड (1) म निर्दिष्ट उद्योग से भिन्न उद्योग से संबंध रखती हो किन्तु ऐसी संस्था न हो जो मौसमी प्रकार की हो या जिसमें केवल आन्तरायिक रूप से कार्य किया जाता हो और जिसमें पूर्ववर्ती बारह महीनों में औसतन प्रति-कार्य दिवस कम से कम तीन सौ मजदूर सेवायोजित रहे हों।

(2) यदि ऐसा कोई प्रश्न उठता है कि क्या कोई औद्योगिक संस्था मौसमी प्रकार की है या क्या उसमें केवल आन्तरायिक रूप से कार्य किया जाता है, तो इस संबंध में राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।

किसी उपक्रम को बन्द करने की प्रक्रिया

6-ब --(1) कोई मालिक जो किसी औद्योगिक संस्था के किसी उपक्रम (अन्डरटेकिंग) को बन्द करना चाहता हो, जिस दिनांक को बन्द करने का अभीष्ट कार्य प्रभावी होना है उसके कम से कम नब्बे दिन पहले राज्य सरकार को पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए विहित रीति से आवेदन-पत्र देगा जिसमें उपक्रम को बन्द करने के अभीष्ट कार्य के लिए कारणों का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जायेगा और साथ ही साथ ऐसे आवेदन-पत्र की एक प्रति मजदूरों के प्रतिनिधियों को भी विहित रीति से दी जायेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की कोई बात भवनों, पुलों, सड़कों, नहरों, बांधों के निर्माण के लिए या अन्य निर्माण कार्य के लिये स्थापित किसी उपक्रम पर लागू नहीं होगी।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन-पत्र दिया गया हो, वहां राज्य सरकार ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह उचित समझे, और मालिक, मजदूरों और इस प्रकार बन्द किये जाने में हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् मालिक द्वारा कथित कारणों की यथार्थता और पर्याप्तता, सामान्य जनता के हितों और अन्य समस्त सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए, आदेश द्वारा और ऐसे कारणों से जिन्हें अभिलिखित किया जायगा, ऐसी अनुज्ञा दे सकती है या देने से इंकार कर सकती है और ऐसे आदेश की एक प्रति मालिक और मजदूरों को भेजी जायेगी।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन-पत्र दिया गया हो और राज्य सरकार उस दिनांक से जब ऐसा आवेदन-पत्र दिया जाय, साठ दिन की अवधि के भीतर मालिक को अनुज्ञा देने या देने से इंकार करने का आदेश संसूचित नहीं करती है, वहां साठ दिन की उक्त अवधि की समाप्ति पर अनुज्ञा जिसके लिये आवेदन किया गया था, स्वीकृत समझी जायेगी।

(4) अनुज्ञा देने या देने से इंकार करने का राज्य सरकार का कोई आदेश, उपधारा (5) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अन्तिम होगा और समस्त पक्षों पर बाध्यकारी होगा और ऐसे आदेश के दिनांक से एक वर्ष के लिए प्रवृत्त रहेगा।

(5) राज्य सरकार स्वप्रेरणा से या मालिक या किसी मजदूर द्वारा दिये गये आवेदन-पत्र पर, उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञा देने या देने से इन्कार करने के अपने आदेश का पुनर्विलोकन कर सकती है या मामले को न्याय निर्णयन के लिए किसी न्यायाधिकरण को निर्दिष्ट कर सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां इस उपधारा के अधीन कोई निर्देश न्यायाधिकरण को किया गया हो, वहां वह ऐसे निर्देश के दिनांक से तीस दिन की अवधि के भीतर पंचनिर्णय देगा।

(6) जहां उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए कोई आवेदन-पत्र उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर न दिया जाय या जहां बन्द करने की अनुज्ञा को अस्वीकार कर दिया जाय, वहां उपक्रम को बन्द करना, बन्द करने के दिनांक से अवैध समझा जायेगा और मजदूर तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सभी लाभ पाने के हकदार इस प्रकार होंगे मानो उपक्रम को बन्द नहीं किया गया था।

(7) इस धारा के पूर्ववर्ती उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि उपक्रम में दुर्घटना या मालिक की मृत्यु या इसी प्रकार की आपवादिक परिस्थितियों के कारण ऐसा करना आवश्यक है तो वह, आदेश द्वारा, निदेश दे सकती है कि उपधारा (1) के उपबन्ध ऐसी अवधि के बारे में लागू नहीं होंगे, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय।

(8) जहां किसी उपक्रम को उपधारा (2) के अधीन बन्द करने की अनुज्ञा दी जाय या जहां उपधारा (3) के अधीन बन्द करने के लिये अनुज्ञा दी गयी समझी जाय, वहां प्रत्येक मजदूर जो इस धारा के अधीन अनुज्ञा के लिये आवेदन-पत्र के दिनांक के ठीक पूर्व उस उपक्रम में सेवायोजित हो, प्रतिकर पाने का हकदार होगा जो अनवरत सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के निमित्त या उसका कोई भाग जो छः मास से अधिक हो उसके निमित्त पन्द्रह दिन के औसत वेतन के बराबर होगा।

कतिपय उपक्रमों को पुनः चालू करने के बारे में विशेष उपबन्ध

6--भ-(1) यदि किसी औद्योगिक संस्था के किसी उपक्रम के बारे में जिसे उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) अधिनियम, 1983 के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् बन्द किया गया है, राज्य सरकार की राय है कि--

(क) ऐसे उपक्रम मालिक के नियंत्रण से परे किसी अपरिवर्जनीय परिस्थिति के कारण से अन्यथा बन्द किया गया है;

(ख) उपक्रम के पुनः चालू किये जाने की सम्भावनायें हैं;

(ग) ऐसे उपक्रम के बन्द किये जाने के पूर्व उसमें सेवायोजित मजदूरों के पुनर्वास के लिये या जनसमुदाय के जीवन के लिये आवश्यक प्रदाय और सेवायें बनाए रखने के लिये या दोनों के लिये उपक्रम को पुनः चालू करना आवश्यक है;

(घ) उपक्रम को पुनः चालू करने के परिणामस्वरूप मालिक को उस उपक्रम के संबंध में कष्ट न होगा;

तो वह ऐसे मालिक और मजदूरों को अवसर देने के पश्चात् अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि उपक्रम ऐसे समय के भीतर (जो आदेश के दिनांक से एक मास से कम का न हो) जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, पुनः चालू किया जायेगा।

(2) जहां कोई मालिक उपधारा (1) के अधीन दिये गये किसी आदेश से व्यथित हो वहां विहित रीति में वह न्याय-निणयन के लिये मामला न्यायाधिकरण को निर्दिष्ट कर सकता है और न्यायाधिकरण ऐसा आदेश पारित कर सकता है जो उसे मामले की परिस्थितियों में उचित और युक्तिसंगत प्रतीत हो।"

धारा 14-ख का बढ़ाया जाना।

4--मूल अधिनियम में, धारा 14-क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्--

"14--ख-(1) कोई मालिक जो धारा 3 या धारा 6-ब के उपबन्धों का उल्लंघन करके कोई उपक्रम बन्द करता है, कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकती है, या जुर्माना से या दोनों से दण्डनीय होगा।

(2) कोई मालिक जो धारा 6-भ के अधीन दिये गये निदेश का उल्लंघन करता है कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकती है, या जुर्माना से या दोनों से दंडनीय होगा और यदि उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त जुर्माना से दण्डनीय होगा जो दोष सिद्धि के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए जबकि उल्लंघन जारी रहे, दो हजार रुपये तक हो सकता है।"

द्वितीय अनुसूची का संशोधन

5--मूल अधिनियम में, द्वितीय अनुसूची में, प्रविष्टि 10 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि बढ़ा दी जायगी, अर्थात्--

"10-क-किसी औद्योगिक संस्था के उपक्रम को बन्द करने से सम्बन्धित कोई मामला।"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 35, सन् 1983

निरसन और अपवाद

6--(1) उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) अध्यादेश, 1983 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
गंगा बख्श सिंह,
सचिव।

No. 2866(2)/XVII-V—1-1 (Ka)-20-1983

Dated Lucknow, October 12, 1983

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Gvernor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Audyogika Jhagara (Sanshodhan) Adhiniyam, 1983 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 26 of 1983) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on October 10, 1983:

THE UTTAR PRADESH INDUSTRIAL DISPUTES (AMENDMENT) ACT, 1983

[U. P. Act no. 26 of 1983]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature Council)

AN

ACT

further to amend the United Provinces Industrial Disputes Act, 1947

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-fourth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Industrial Disputes (Amendment) Act, 1983.

(2) It shall be deemed to have come into force on August 3, 1983.

Amendment of section 2 of U.P Act no. XXVIII of 1947.

2. In section 2 of the U. P. Industrial Disputes Act, 1947, hereinafter referred to as the principal Act, *after* clause (*e*), the following clause shall be *inserted*, namely :—

"(*ee*) 'closure' means the permanent closing down of a place of employment or part thereof;".

Insertion of sections 6-V, 6-W and 6-X.

3. In the principal Act, *after* section 6-U, the following sections shall be *inserted*, namely :—

"6-V. (1) The provisions of sections 6-W and 6-X shall apply to an industrial establishment pertaining to an industry other than an industry referred to in sub-clause (i) of clause (*a*) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (not being an establishment of a seasonal character or in which work is performed only intermittently) in which not less than three hundred workmen were employed on an average per working day for the preceding twelve months;

Application of sections 6-W and 6-X.

(2) If a question arises whether an industrial establishment is of a seasonal character or whether work is performed therein only intermittently; the decision of the State Government thereon shall be final.

6-W. (1) An employer who intends to close down an undertaking of an industrial establishment shall, in the prescribed manner, apply, for prior permission, at least ninety days before the date on which the intended closure is to become effective, to the State Government, stating clearly the reasons for the intended closure of the undertaking and a copy of such application shall also be served simultaneously on the representatives of the workmen in the prescribed manner :

Procedure for closing down an undertaking.

Provided that nothing in this sub-section shall apply to an undertaking set up for the construction of buildings, bridges, roads, canals, dams or for other construction work.

(2) Where an application for permission has been made under sub-section (1), the State Government, after making such enquiry as it thinks fit and after giving a reasonable opportunity of being heard to the employer, the workmen and the persons interested in such closure may, having regard to the genuineness and adequacy of the reasons stated by the employer, the interests of the general public and all other relevant factors, by order and for reasons to be recorded in writing, grant or refuse to grant such permission and a copy of such order shall be communicated to the employer and the workmen.

(3) Where an application has been made under sub-section (1) and the State Government does not communicate the order granting or refusing to grant permission to the employer within a period of sixty days from the date on which such application is made, the permission applied for shall be deemed to have been granted on the expiration of the said period of sixty days.

(4) An order of the State Government granting or refusing to grant permission shall, subject to the provisions of sub-section (5), be final and binding on all the parties and shall remain in force for one year from the date of such order.

(5) The State Government may, either on its own motion or on the application made by the employer or any workman, review its order granting or refusing to grant permission under sub-section (2) or refer the matter to a Tribunal for adjudication :

Provided that where a reference has been made to a Tribunal under this sub-section, it shall pass an award within a period of thirty days from the date of such reference.

(6) Where no application for permission under sub-section(1) is made within the period specified therein, or where the permission for closure has been refused, the closure of the undertaking shall be deemed to be illegal from the date of closure and the workmen shall be entitled to all the benefits under any law for the time being in force as if the undertaking had not been closed down.

(7) Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions of this section, the State Government may, if it is satisfied that owing to such exceptional circumstances as accident in the undertaking or death of the employer or the like it is necessary so to do, by order, direct that the provisions of sub-section (1) shall not apply in relation to such period as may be specified in the order.

(8) Where an undertaking is permitted to be closed down under sub-section (2) or where permission for closure is deemed to be granted under sub-section (3), every workman who is employed in that undertaking immediately before the date of application for permission under this section, shall be entitled to receive compensation which shall be equivalent to fifteen day's average—pay for every completed year of continuous service or any part thereof in excess of six months.

Special provisions as to the restarting of certain undertakings.

6-X. (1) If the State Government is of opinion in respect of any undertaking of an industrial establishment which has been closed down before or after the commencement of the Uttar Pradesh Industrial Disputes (Amendment) Act, 1983—

(*a*) that such undertaking was closed down otherwise than on account of unavoidable circumstances beyond the control of the employer ;

(*b*) that there are possibilities of restarting the undertaking ;

(*c*) that it is necessary for the rehabilitation of the workmen employed in such undertaking before its closure or for the maintenance of supplies and services essential to the life of the community to restart the undertaking or both; and

(*d*) that the restarting of the undertaking will not result in hardship to the employer in relation to the undertaking ;

it may, after giving an opportunity to such employer and workmen for reasons to be recorded in writing direct, by order published in the *Gazette*, that the undertaking shall be restarted within such time (not being less than one month from the date of the order) as may be specified in the order.

(2) Where the employer is aggrieved from an order passed under sub-section (1), he may refer the matter in the prescribed manner to the Tribunal for adjudication and the Tribunal may pass such orders as it thinks proper and reasonable in the circumstances of the case."

Insertion of section 14-B.

4. In the principal Act, *after* section 14-A, the following section shall be *inserted*, namely :—

"14-B. (1) Any employer who closes down an undertaking in contravention of the provisions of section 3 or section 6-W shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine or with both.

(2) Any employer, who contravenes a direction given under section 6-X shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine or with both, and where the contravention is a continuing one, with a further fine which may extend to two thousand rupees for every day during which the contravention continues after the conviction."

Amendment of the Second Schedule.

5. In the principal Act, in the Second Schedule, *after* entry 10 the following entry shall be *inserted*, namely:—

"10-A. Any matter relating to the closure of the undertaking of an industrial establishment."

Repeal and savings.

6. (1) The Uttar Pradesh Industrial Disputes (Amendment) Ordinance, 1983 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
G. B. SINGH,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी० --ए० पी० 265 सा० (विधा०)---(2493) 1983- 750 (मेक०)।